

प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, मुख्य मार्ग क्रमांक-2
तुलसी नगर-03-दूरभाष क्रमांक 2552646-2552878
Email-encwrbpl-mp.@nic.in

क्रमांक-33214100/1-6/2024/1081
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/06/2026

- | | |
|--|---|
| 1- आयुक्त,
भू-अर्जन एवं पुर्नवास
बाणसागर परियोजना
जल संसाधन विभाग
रीवा (04 { मध्यप्रदेश} | 2- आयुक्त,
{ प्रमुख अभियन्ता समकक्ष }
कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय
जल संसाधन विभाग, भोपाल (33)
{ मध्यप्रदेश } |
| 3- समस्त मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
..... { मध्यप्रदेश } | 4- समस्त मुख्य अभियन्ता,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण-----
----- { मध्यप्रदेश } |
| 5- समस्त परियोजना संचालक
(मुख्य अभियन्ता), पीएमयू,
जल संसाधन विभाग,
..... { मध्यप्रदेश } | 6- वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल
{ मध्यप्रदेश } |

विषय:- मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब की 35वीं अन्तर -
क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु आयोजक एवं उप आयोजक
नियुक्त करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल का पत्र
क्रमांक-17 / प्रा० अ० /स्पोर्ट्स/2026-27 दिनांक 16-4-2026

संदर्भित पत्र के तारतम्य में जल संसाधन विभाग की 35वीं अन्तरक्षेत्रीय खेल
प्रतियोगिता मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग क्षेत्रीय स्पोर्ट्स क्लब, नर्मदापुरम के
तत्वाधान में दिनांक 12-11-2026 से 16-11-2026 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित
है ।

2- जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के शासकीय
सेवकों (अधिकारी/ कर्मचारी) की पिछली 34वीं अन्तरक्षेत्रीय प्रतियोगिता दिनांक 14-
12-2025 से 19-12-2025 तक मुख्यालय-रीवा में सुचारू रूप से सफल संचालन,
गरिमापूर्ण ढंग से सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई है ।

3- उक्त दर्शित स्थिति में मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग क्षेत्रीय
स्पोर्ट्स क्लब, नर्मदापुरम के तत्वाधान में कार्यपालन यंत्री, तवा परियोजना जल संसाधन
संभाग, इटारसी जिला-नर्मदापुरम(031) को आयोजक एवं अनुविभागीय अधिकारी,
नर्मदापुरम उपनहर वितरण जल संसाधन उपसंभाग, नर्मदापुरम(0326) को उप
आयोजक नियुक्त किया जाता है । साथ ही निर्दिष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश
सिंचाई(जल संसाधन) विभाग क्षेत्रीय स्पोर्ट्स क्लब, नर्मदापुरम के सहयोग से प्रतियोगिता
सम्बन्धी पूर्ण तैयारी हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करेंगे, उक्त विभागीय खेल
प्रतियोगिता हेतु तिथिवार अर्थात् प्रारम्भ से समापन तक आयोजित प्रतियोगिता एवं

खिलाडियों को दी जा रही सुविधा, सम्मान सहित प्रत्येक आयोजन हेतु विस्तृत रूप-रेखा सुनिश्चित करते हुए प्रतियोगिता सम्बन्धी पूर्ण तैयारी की जाकर प्रतियोगिता गरिमापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, नर्मदापुरम(27) के माध्यम से नियमानुसार पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

प्रतियोगिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देश पृथक से शैने: -शैने: प्रसारित किए जावेंगे।

(विनोद कुमार देवड़ा)
प्रमुख अभियन्ता

पृष्ठांकन क्रमांक-33214100/1-6/2024/1082 भोपाल, दिनांक 04/06/2026
प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 - 2- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 - 3- आयुक्त, (प्रशासन)/सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, 59, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 - 4- समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ नर्मदा घाटी विकास विभाग-----
 - 5- समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग/ नर्मदा घाटी विकास विभाग (संभाग/इकाई सहित)-----।
 - 6- कार्यपालन यंत्री, (आयोजक) तवा परियोजना जल संसाधन संभाग, इटारसी जिला- नर्मदापुरम (031)।
 - 7- अनुविभागीय अधिकारी, (उप आयोजक) नर्मदापुरम उपनहर वितरण जल संसाधन उपसंभाग, नर्मदापुरम(0326)।
 - 8- श्री मनीष मंडलिक, प्रान्तीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल कार्यालय मुख्य अभियन्ता, चम्बल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल(02) परिसर, की ओर अग्रेषित कर लेख है कि 34वीं अन्तरक्षेत्रिय प्रतियोगिता दिनांक 14-12-2025 से 19-12-2025 तक खेल प्रतियोगिता मुख्यालय-रीवा के सम्बन्ध प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है, उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - 9- समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम द्वारा प्रान्तीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल।
 - 10- वेब मैनेजर (कार्यपालन यंत्री) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर तत्काल विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
 - 11- शोडडो नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आशीष महाजन)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)